



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)_

क्रमांक:- 26440-26474

दिनांक :- 18-3-2015

प्रेषिति :-

अध्यक्ष,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

समस्त जिला

विषय :- National Legal Services Authority (Legal Services to
the Mentally ill persons and persons with Mental
Disabilities) Scheme, 2010

महोदय,

निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने मानसिक रूप से बीमार लोगों के कल्याण के लिये विषयान्तर्गत योजना जारी की है जिसमें इस योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिये हुये हैं। सुलभ सन्दर्भ के लिये विषयान्तर्गत योजना की प्रति संलग्न है।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया विषयान्तर्गत योजना का अध्ययन करें व इसके क्रियान्वयन की व्यवस्थित योजना तैयार करें। जिला मुख्यालय एवं ताल्लुका मुख्यालयों पर बनाई गई विधिक जागरूकता टीम (दो पैरा लीगल वोलन्टियर व दो पैनल लॉयर) की सहायता से विषयान्तर्गत योजना का अक्षरशः प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। योजना की नियमित रूप से समीक्षा करें। सम्बंधित मनो चिकित्सा केन्द्र के प्रभारी के प्रमाण पत्र पर या सार्वजनिक स्थानों पर इस योजना की जानकारी देने के काम में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर का सबूत प्राप्त कर विधिक जागरूकता टीम को निर्धारित मानदेय का भुगतान करें। विधिक सेवा के लिये नियुक्त कनिष्ठ लिपिक से एक रजिस्टर का संधारण संलग्न परिपत्र में कराये और इसी परिपत्र में इस कार्यालय को मासिक सूचना भिजवाने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रफोर्मा

क0सं0	विधिक जागरूकता टीम के सदस्यगण के नाम	निरीक्षण की दिनांक व समय	विधिक साक्षरता टीम द्वारा किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण	विधिक साक्षरता टीम के सदस्यों को दिये गये मानदेय की राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6